

न्यायालय तहसीलदार बायतु

प्राथी	बनाम	विप्राथी
राजस्थान सरकार पटवारी हल्का कोसरिया		ताजाराम पुत्र हुकमाराम कौम जाट निवासी लापला

मुकदमा नम्बर 29/2019 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 23.10.2019


पत्रावली आज पेश हुई। विप्राथी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विप्राथी द्वारा संवत् 2076 में ग्राम **कोसरिया** के खसरा नम्बर **569/429** बीघा रकबा 40.00 बीघा में से 20.00 बीघा किस्म गै. मु. **गोचर भूमि** पर अनाधिकृत रूप से काश्त/कब्जा कर लिया गया है। पटवारी हल्का **कोसरिया** द्वारा रिपोर्ट पेश की, जिसके आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्राथी को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस विप्राथी से तामील होकर प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। विप्राथी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

पत्रावली व पटवारी रिपोर्ट का अवलोकन किया है। विप्राथी द्वारा सरकारी भूमि पर बिना किसी अधिकार के कब्जा किया है जो अवैध है। अतः विप्राथी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर सरकारी भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। साथ ही भूमि के वार्षिक लगान गुणा राशि 100/- अखरे एक सौ रुपये जुर्माना आरोपित किये जाते हैं। जो विप्राथी से वसूल हो।

पटवारी हल्का अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल कर जुर्माना / शास्ति राशि वसूल करें तथा भूअभिलेख निरीक्षक नीलामी की कार्यवाही कर फर्द नीलामी स्वीकृति हेतु पेश करें।

तहसील राजस्व लेखाकार उक्त प्रकरण में मांग कायमी कर वसुली करें। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दफ़तर दाखिल हो। निर्णय खुली अदालत सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 23.10.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


तहसीलदार बायतु